संख्या-4/2015/860/26-3-2015-1(1)/2010टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2015

विषयः- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, (बालक), सैदपुर गाजीपुर पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष धनराशि स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-852/26-ब0प्र0-2010-1(1)/2010, दिनांक 27.10.2010 एवं शासनादेश संख्या-226/26-ब0प्र0-2011-1(1)/2010,दिनांक 28 फरवरी, 2011 के क्रम में आपके पत्र संख्या-1111/स0क0/विकास/ए.टी.एस.-290/2013-14, दिनांक 26.02.2014 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457 /दस-2014-231/2012, दिनांक 22-7-2014 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, (बालक), सैदपुर गाजीपुर के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 1168.30 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में अन्तर की धनराशि रूपये 436.09 लाख के सापेक्ष रू0 377.68 लाख (रूपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख अरसठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित करके कार्यदायी संस्था, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रश्नगत कार्य हेतु बकाया 5 प्रतिशत की राशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी। कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जायेगा। ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और यदि उक्त आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए पूर्व में स्वीकृत, अप्रयुक्त धनराशि उपलब्ध है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण पूर्व स्वीकृत अप्रयुक्त उपलब्ध धनराशि के उपयोग कर लिए जाने के उपरान्त किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें। उक्त प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यो की मात्रा में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त परियोजना में प्रस्तावित बाट-आउट आइटम्स पर धनराशि सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। उक्त प्रायोजना के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

2- उपर्युक्त स्वीकृतियों से संबंधित धनराशियां व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2012, दिनांक 22-7-2014 में निहित निर्देशों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24- बृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-114/दस-2015, दिनांक-16.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

<u>संख्या- 4/2015/860 (1)/26-3-2015 तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।

4-जिलाधिकारी, गाजीपुर

5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर

6-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण।

7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0को इस आशय से प्रेषित कि वित्त व्यय समिति के निर्देशानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य में विलम्ब होने से लागत में हुयी वृद्धि के कारण उत्तरदायी निगम के अभियन्ताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाहीकी आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, गाजीपुर, जनपद इकाई।

9-निदेशक, एन0आई0सी0।

10-सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।

11-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in